रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072022-237228
CG-DL-E-09072022-237228

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 9, 2022/आषाढ़ 18, 1944
No. 491] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 9, 2022/ASHADHA 18, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2022

सा.का. नि. 529(अ).—केन्द्रीय सरकार, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 43ग की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 84 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय माध्यस्थम् परिषद् (अंशकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) अभिप्रेत है ;

(ख) "अंशकालिक सदस्य" से अधिनियम की धारा 43ग की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्त परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है ।

(2) सभी अन्य शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमश: वहीं अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

3. मासिक भत्ता— कोई अंशकालिक सदस्य प्रतिमास पचास हजार रुपए की समेकित राशि प्राप्त करने का हकदार होगा ।

4. वाहन भत्ता—(1) कोई अंशकालिक सदस्य, परिषद् की किसी बैठक में भाग लेने के लिए दो हजार रुपए या उसके द्वारा उपगत वास्तविक व्यय की रकम का हकदार होगा ।

(2) कोई अंशकालिक सदस्य, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन सं. 19047/1/2016-ई.IV, तारीख 14 सितंबर, 2017 के अनुसार उसके मामूली निवास स्थान से बाहर उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(3) किसी अंशकालिक सदस्य द्वारा शासकीय विदेशी भ्रमण, उन्हीं उपबंधों द्वारा शासित होंगे, जो परिषद् के किसी पूर्णकालिक सदस्य को लागू होते हैं ।

5. शिथिल करने की शक्ति—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

6. अवशिष्ट मामले—यात्रा और अन्य भत्तों की बाबत अंशकालिक सदस्यों से संबंधित मामले, जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, परिषद् द्वारा विनिश्चय के लिए केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

[फा. सं. ए-60011/152/2019-प्रशासन.III(एलए))

सुनीता आनंद, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2022

G.S.R. 529(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 84 read with sub-section (4) of section 43C of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the Arbitration Council of India (Travelling and other Allowances Payable to Part-time Members) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996);

(b) "Part-time Member" means a Member of the Council appointed under clause (f) of sub-section(1) of 43C of the Act.

(2) All other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Monthly allowance**. – (1) A Part-time Member shall be entitled to receive a consolidated sum of fifty thousand rupees per month.

4. **Conveyance allowance**. – (1) A Part-time Member shall be entitled for an amount of two thousand rupees or the actual expenses incurred by him for attending a meeting of the Council.

(2) A Part-time Member shall be entitled to travelling allowance, daily allowance as per the Department of Expenditure, Ministry of Finance OM No. 19047/1/2016-E.IV, dated the 14th September, 2017, to discharge his duties outside his ordinary place of residence.

(3) The official visits abroad by a Part-time Member shall be governed by the same provisions as are applicable to a Full -time Member of the Council.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order, for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Residuary matters**. – Matters relating to Part-time Members, with respect to travelling and other allowance for which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Council to the Central Government for decision.

[F. No. A-60011/152/2019-Admn.III(LA)]

SUNITA ANAND, Jt. Secy. and Legal Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.09 18:04:19 +05'30'